

Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

HON. CHAIRPERSON: Now, Papers to be laid on the Table; Dr. Jitendra Singh.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं के लिए निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अंतर्गत भारत के लोकपाल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library. See No. LT 525/18/24]

(4) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library. See No. LT 526/18/24]

(5) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.203(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library. See No. LT 527/18/24]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, मैं मंत्रियों द्वारा सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

सोलहवीं लोक सभा

(1) विवरण सं. 33 चौथा सत्र, 2015

[Placed in Library. See No. LT 528/18/24]

सत्रहवीं लोक सभा

(2) विवरण सं. 23 पहला सत्र, 2019

[Placed in Library. See No. LT 529/18/24]

(3) विवरण सं. 17 तीसरा सत्र, 2020

[Placed in Library. See No. LT 530/18/24]

(4) विवरण सं. 18 पांचवां सत्र, 2021

[Placed in Library. See No. LT 531/18/24]

(5) विवरण सं. 11 आठवां सत्र, 2022

[Placed in Library. See No. LT 532/18/24]

(6) विवरण सं. 8 नौवां सत्र, 2022

[Placed in Library. See No. LT 533/18/24]

(7) विवरण सं. 6 दसवां सत्र, 2022

[Placed in Library. See No. LT 534/18/24]

(8) विवरण सं. 6 ग्यारहवां सत्र, 2023

[Placed in Library. See No. LT 535/18/24]

(9) विवरण सं. 3 बारहवां सत्र, 2023

[Placed in Library. See No. LT 536/18/24]

(10) विवरण सं. 3 चौदहवां सत्र, 2023

[Placed in Library. See No. LT 537/18/24]

(11) विवरण सं. 2 पंद्रहवां सत्र, 2024

[Placed in Library. See No. LT 538/18/24]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग एक- समीक्षा)।

(दो) वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग दो- समर्पित विनियोग लेखे)।

(तीन) वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे (भाग दो- समर्पित विनियोग लेखे ? अनुबंध - छ)।

(चार) वर्ष 2022-2023 के लिए जम्मू ?कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार ? वित्त लेखे (भाग एक और दो)।

(पांच) वर्ष 2022-2023 के लिए जम्मू ?कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार ? विनियोग लेखे (खंड एक और दो)।

(छह) वर्ष 2022-2023 के लिए संघ सरकार ? विनियोग लेखे (डाक सेवाएं)।

[Placed in Library. See No. LT 539/18/24]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2024 का संख्यांक 5) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन और भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं का प्रबंधन संबंधी (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों के बारे में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा - (2024 का संख्यांक 3)।

[Placed in Library. See No. LT 540/18/24]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) अनुज्ञप्तिकरण आवश्यकताओं को हटाना, भंडार सीमाएं और विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर संचलन प्रतिबंध (दूसरा संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2718(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library. See No. LT 541/18/24]

(दो) अनुज्ञप्तिकरण आवश्यकताओं को हटाना, भंडार सीमाएं और विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर संचलन प्रतिबंध (पहला संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 21 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2403(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library. See No. LT 542/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF

PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Respected Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table ?

(1) A copy of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration (Amendment) Recruitment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 364(E) in Gazette of India dated 4th July, 2024 under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.

[Placed in Library. See No. LT 543/18/24]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 8 of the Cinematograph Act, 1952:-

(i) The Cinematograph (Adjudication of Penalty) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 317(E) in Gazette of India dated 7th June, 2024.

(ii) The Cinematograph (Certification) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 214(E) in Gazette of India dated 15th March, 2024.

[Please in Library. See No. LT 544/18/24]

(3) A copy of Audited Annual Accounts (Hindi and English versions) of the

Prasar Bharati, (Broadcasting Corporation of India) for the year 2022-2023.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library. See No. LT 545/18/24]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 546/18/24]

- (2) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अंतर्गत कोयला खान पेंशन (संशोधन) योजना, 2024 जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 165(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 547/18/24]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Hon. Chairperson, Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Railway Servants (Discipline and Appeal) (Second Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 409(E) in Gazette of India dated 16th July, 2024 under Article 309 of the Constitution.

[Placed in Library. See No. LT 548/18/24]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2023 का संख्यांक 20) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

मंत्रालय के अधीन ?भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का भंडारण प्रबंधन और संचलन? संबंधी प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

[Placed in Library. See No. LT 549/18/24]

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, मेरे सहयोगी श्री जॉर्ज कुरियन की ओर से मैं हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अंतर्गत हज समिति (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 369(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library. See No. LT 550/18/24]

12.05 hrs